न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहूजा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 01/2016

1. *मदनलाल पुत्र साहबराम जाति जाट निवासी शिवपुर फतुही तहसील व जिला श्रीगंगानगर।*
2. कालुराम पुत्र चेतनराम जाति जाट निवासी शिवपुर फतुही तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– – प्रार्थी

–:: बनाम ::–

1. गुरसेवकसिंह पुत्र जरनैलसिंह जाति जटसिख निवासी 6 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. जीतकुमार पुत्र कृष्णलाल जाति ओड राजपूत निवासी खाटलबाना तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. अजय कुमार पुत्र कृष्णलाल जाति ओड राजपूत निवासी खाटलबाना तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर।

– – अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

बाबत रास्ता

–:: उपस्थित अभिभाषक ::–

1. श्री राजेश गुम्बर अधिवक्ता — प्रार्थी
2. श्री राजकुमार नागपाल अधिवक्ता — अप्रार्थी संख्या 2 व 3
3. अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध एक पक्षीय दिनांक 17.11.2016

दिनांक :– 24.06.2017

– :: निर्णय ::–

प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध जरीये अधिवक्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण का रकबा चक 1 जे बड़ा तहसील श्रीगंगानगर के विभिन्न मुरब्बों में स्थित है। प्रार्थी संख्या 1 के नाम से चक हाजा के खाता संख्या 22/52 मुरब्बा नम्बर 50 में स्थित है जमाबन्दी की नकल शामिल है।

प्रार्थीयान तथा अन्य काश्तकारान को अपनी भूमि में आनें जानें के लिये रास्ता की आवश्यक्ता होनें के कारण अप्रार्थी संख्या 1 के रकबा चक 1 जे बड़ा के खाता संख्या 18/18 (वर्तमान 20/18) मुरब्बा नम्बर 31 के किला नम्बर 6, 15, 16 जो कि रेलवे लाईन जो इस चक में से निकली हुई है। तथा उत्तर से दक्षिण आ रही है। के पश्चिमी तरफ रास्ता की आवश्यक्ता होनें के कारण अप्रार्थी संख्या 1 से रास्ता के लिये भूमि देनें का आग्रह किया गया। इस पर उसनें अपनें उपरोक्त तीन किलाजात मुरब्बा नम्बर 31 के किला नम्बर 6, 15, 16 में से 1–1 बिस्वा रास्ता के लिये भूमि देनें के लिये मुआवजा के रूप में 1,00,000 रूपया की मांग की इस पर उसको मुआवजा अदा किया जाकर उससे रास्ता के लिये भूमि ली गई

लगातार 2

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

जिसके सम्बंध में उसनें 22.02.2013 को सहमति पत्र भी रास्ता के सम्बंध में अपनी स्वेच्छा से तहरीर तकमील करवाकर अपना फोटो चस्पा करवाकर नोटेरी पब्लिक से तस्दीक करवाया दिया जिसकी नकल शामिल है।

इस प्रकार चक 1 जे बड़ा के खाता संख्या 20/18 मुरब्बा नम्बर 31 के किला नम्बर 6, 15, 16 में से रास्ता एक–एक बिस्वा मौके पर चल रहा है तथा मुआवजा के रूप में 1,00,000/– रूपया भी अप्रार्थी संख्या 1 नें प्राप्त कर लिया हुआ है।

अप्राथी संख्या 1 नें अपनी उपरोक्त भूमि अप्रार्थीयान संख्या 2, 3 को विक्रय किया जानें का पता लगा है। जबकि अभी तक राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थीयान संख्या 2, 3 के नाम से भूमि दर्ज नहीं हुई है मगर अब अप्रार्थीयान के मन में गलत लालच आया हुआ है। तथा वह उपरोक्त प्रस्तावित एवम् प्रचलित रास्ता को जानबुझकर बन्द करना चाहते है। जबकि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा रास्ता की भूमि की कीमत बतौर मुआवजा प्राप्त कर लिया हुआ है। तथा अप्रार्थीयान संख्या 2, 3 भी अप्रार्थी की उपरोक्त सहमति बाबत रास्ता की लिखित दिनांक 22.02.2013 के लिखित के पाबन्द तथा जिम्मेदार है अतः प्रार्थीयान के लिये उक्त रास्ता को स्वीकृत करवाना आवश्यक हो गया है जिससे कि भविष्य में विवाद पैदा ना हो सके तथा राजस्व रिकार्ड में भी रास्ता दर्ज कराया जा सके।

यदि उपरोक्त रास्ता को बन्द कर दिया गया तो प्रार्थीयान व अन्य काश्तकारों को भारी कठिनाई पैदा होगी तथा रकबा में आना जाना फसल काश्त करना व निकालनें में भी भारी दिक्कत पैदा होगी क्योकि इस रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। अतः इस रास्ता को स्वीकृत करवाना आवश्यक है। अप्रार्थी क्योकि रास्ता की भूमि की कीमत ले चुका है। इसलिये उनको रास्ता बन्द करने का कानूनन कोई हक व अधिकार नहीं है।

अतः चक 1 जे बड़ा के खाता संख्या 18/18 वर्तमान 20/18 मुरब्बा नम्बर 31 के किला नम्बर 6, 15, 16 में से प्रचलित एक एक बिस्वा रास्ता को स्वीकृत करनें तथा राजस्व रिकार्ड में दर्ज करनें का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट पेश की गई रिपोर्ट के अन्तर्गत कथन किया गया कि प्रार्थीयान द्वारा जो रास्ता चाहा जा रहा है वह किसी स्वीकृत शुद्धा रास्ता में नहीं लगता है प्रार्थी द्वारा जो रास्ता चाहा जा रहा है वह रेलवे लाईन से चिपता हुआ है। मुरब्बा नम्बर 22 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 से चिपता हुआ मुरब्बा नम्बर 31 के किला नम्बर 1 से सुविधाजनक रास्ते का विकल्प है। मुरब्बा नम्बर 41 व 50 के रकबा को स्वीकृत शुद्धा रास्ता लगता है। मुरब्बा नम्बर 36 के किला नम्बर 5/2, 9, 10 के लिये मुरब्बा नम्बर 36 के किला नम्बर 6, 15, 16 में से चाहा गया है। जो औचित्य पूर्ण प्रतीत नहीं होता है। नजरी नक्शा संलग्न है।

अप्रार्थी संख्या 2 व 3 द्वारा जबाब पेश किया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि चक 1 जे अडत्रा के मुरब्बा नम्बर 31 के किला नम्बर 6, 15, 16 में से एक एक बिस्वा रास्ता की कोई आवश्यक्ता नहीं है। क्योंकि वर्तमान समय में मुरब्बा नम्बर 34 के किला नम्बर 21 ता 25 में से सरकारी रास्ता पिछले करीब 50–60 वर्षो से चला आ रहा है। जो प्रार्थी के मुरब्बा नम्बर 50 में जाता है। अन्य प्रार्थीगण के खेतों को भी यही रास्ता जाता है।

न्याय आपके द्वारा अभियान 2017 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत खाट लबाना में आयोजित कैम्प कोर्ट में मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई मौका रिपोर्ट के वाद में वर्णित भूमि चक 1 जे बड़ा के मुरब्बा नम्बर 31 के किला नम्बर 6, 15, 16 में रास्ता स्वीकृत हेतु मौके पर जो रास्ता चाहा गया है वह किसी भी स्वीकृत शुद्धा रास्ते से नहीं जुड़ा है, तथा यदि रास्ता स्वीकृत किया जाता है, तो भी वादी को अपनी कृषि भूमि मे पहुंच भी नहीं बनती है।

लगातार 3

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागणों की बहस सुनी गई दौरानें बहस उभयपक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता द्वारा अपनें अपनें प्रार्थना पत्र तथा जबाब प्रार्थन पत्रों को दोहराया गया।

बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया नजरी नक्शा का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया कि 1 जे बड़ा के मुरब्बा नम्बर 31 के किला नम्बर 6, 15, 16 में रास्ता स्वीकृत हेतु मौके पर जो रास्ता चाहा गया है वह किसी भी स्वीकृत शुद्धा रास्ते से नहीं जुड़ा है, तथा यदि रास्ता स्वीकृत किया जाता है, तो भी वादी को अपनी कृषि भूमि मे पहुंच भी नहीं बनती है। इस कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) का पोषणीय नहीं है।

– :: आदेश ::–

प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता किसी भी स्वीकृत शुद्धा रास्ते से नहीं जुड़ने के कारण चाहे गये रास्ते से प्रार्थी अपनी भूमि पर नहीं पहुंच पाता है। मुरब्बा नम्बर 22 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 से चिपता हुआ मुरब्बा नम्बर 31 के किला नम्बर 1 से सुविधाजनक रास्ते का विकल्प है। इसलिये प्रार्थी की मांग अनुचित होंने के कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) का पोषणीय नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) वर्तमान स्तर पर खारिज किया जाता है। तथा न्यायालय के पत्रांक राजस्व/2016/01–03 दिनांक 01.01.2016 के द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज किया जाता है।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 24.06.2017 को लिखवाया जाकर राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार अभियान 2017 के तहत खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी एवम
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर